क्रम-संख्या–239(क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/ए०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 15 दिसम्बर, 2016

अग्रहायण 24, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2

संo कo निo–2/1718/ग्यारह–9(295)/07–उ0प्र0 वैट नियम–08–आदेश (171)–2016
लखनऊ, 15 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

प०आ०–644

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 79 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर नियमावली, 2008 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं;

चूंकि राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करनी आवश्यक हो गयी है, अतएव राज्यपाल अग्रतर उक्त अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन बिना पूर्व प्रकाशन के पूर्वोक्त नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर (षष्टम संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर (षष्टम संशोधन) नियमावली, 2016 की जाएगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 12 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर नियमावली, 2008, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम 12 में, नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये विद्यमान उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(2) उपनियम (1) के प्राविधानों के अध्यधीन जब तक स्पष्ट रुप से विहित न हो, इस अधिनियम या नियमावली के अधीन देय कर, शुल्क, अर्थदण्ड, ब्याज, समाधान राशि, बिकी आगम, घोषणा पत्र, या प्रमाण पत्र का मूल्य या अन्य कोई धनराशि अधोलिखित रीति में से किसी एक के द्वारा चार प्रतियों में ट्रेजरी चालान से जमा की जायेगी–	(2) उपनियम (1) के प्राविधानों के अध्यधीन जब तक स्पष्ट रुप से विहित न हो, इस अधिनियम या नियमावली के अधीन देय कर, शुल्क, अर्थदण्ड, ब्याज, समाधान राशि, बिकी आगम, घोषणा पत्र, या प्रमाण पत्र का मूल्य या अन्य कोई धनराशि अधोलिखित रीति में से किसी एक के द्वारा चार प्रतियों में ट्रेजरी चालान से जमा की जायेगी–
(क) कोषागार या उपकोषागार या भारतीय स्टेट बैंक या इसके समनुषंगी बैंक या किसी पब्लिक सेक्टर बैंक जो जमा को स्वीकार करने के लिये अधिनियम में अधिकृत है, में नगद; या	(क) भारतीय स्टेट बैंक या इसके समनुषंगी बैंक या किसी पब्लिक सेक्टर बैंक जो अधिनियम के अधीन जमा को स्वीकार करने के लिये अधिकृत है, में नगद; या
(ख) ऐसे बैंक में जमाकर्ता के पक्ष में जारी ड्राफ्ट द्वारा; या	(ख) ऐसे बैंक में जमाकर्ता के पक्ष में जारी ड्राफ्ट द्वारा; या
(ग) ऐसे बैंक में जमाकर्ता के द्वारा स्वयं के पक्ष में या ऐसे बैंक में स्वयं निकासी के लिये जारी चेक द्वारा; या	(ग) ऐसे बैंक में जमाकर्ता के द्वारा स्वयं के पक्ष में या ऐसे बैंक में स्वयं निकासी के लिये जारी चेक द्वारा; या
(घ) राजकीय विभाग के मामले में बही अंतरण द्वारा, यदि ऐसा चाहें; या	(घ) राजकीय विभाग के मामले में बही अंतरण द्वारा, यदि ऐसा चाहें; या
(ङ) इलैक्ट्रानिक भुगतान द्वारा।	(ङ) इलैक्ट्रानिक भुगतान द्वारा।

नियम 38 का संशोधन

3–उक्त नियमावली में, नियम 38 में उपनियम (8) में, नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(क) जहॉ रेलवे कन्टेनर कान्ट्रैक्टर या एयर कारगो आपरेटर या कोरियर सर्विस प्रोवाईडर किसी व्यक्ति से किसी स्थान को परिवहन हेतु माल प्राप्त करता है, वह उस व्यक्ति से फार्म–सत्रह में एक घोषणा–पत्र प्रस्तुत करायेगा और उसी प्रकार जहॉ रेलवे कन्टेनर कान्ट्रैक्टर या एयर कारगो आपरेटर या कोरियर सर्विस प्रोवाईडर डिलीवरी हेतु कोई माल प्राप्त करता है, वह माल की डिलीवरी के समय डिलीवरी लेने वाले व्यक्ति से फार्म–अठारह में एक घोषणा पत्र प्राप्त करेगा।	(क) जहॉ रेलवे कन्टेनर कान्ट्रैक्टर एयर कारगो आपरेटर या कोरियर सर्विस प्रोवाईडर किसी व्यक्ति से किसी स्थान को परिवहन हेतु कोई माल प्राप्त करता है, वहॉ वह उस व्यक्ति का पूरा नाम और पता, टिन नम्बर (यदि लागू हो) और ऐसे अन्य विवरण, जो ऐसे व्यक्ति की पहचान के लिये आवश्यक हों, अपने अभिलेखों में रखेगा और उसी प्रकार से जहॉ रेलवे कन्टेनर कान्ट्रैक्टर, एयर कारगो आपरेटर या कोरियर सर्विस प्रोवाईडर डिलीवरी हेतु कोई माल प्राप्त करता है, वहॉ वह माल की डिलीवरी लेने वाले व्यक्ति का पूरा नाम और पता, टिन नम्बर (यदि लागू हो) और ऐसे अन्य विवरण, जो उसकी पहचान के लिये आवश्यक हों, अपने अभिलेखों में रखेगा।

Data-8 6 35 RPH Sansthagat Anu. 2016

नियम 72 का संशोधन

4–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये विद्यमान नियम–72 के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
72–अधिनियम या नियमों के अधीन किसी भी नोटिस, आवाहन–पत्र (सम्मन) या आदेश की तामीली निम्नलिखित में से किसी भी ढंग से की जा सकती है:	72–अधिनियम या नियमों के अधीन किसी भी नोटिस, आवाहन–पत्र (सम्मन) या आदेश की तामीली निम्नलिखित में से किसी भी ढंग से की जा राकती है:
	(क) आदेश अथवा नोटिस की स्कैन की गयी प्रति अथवा इलैक्ट्रानिकली जेनेरेटेड एवं डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति, ई–मेल अथवा अनुलिपि संदेश द्वारा प्रेषित करके–
	जहॉ कोई आदेश, नोटिस या कोई संवाद इलैक्ट्रानिकली किया जाय और ई–मेल द्वारा व्यवहारी को संबोधित किया जाय और जिसे व्यवहारी द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया जाय तब ऐसा आदेश, नोटिस अथवा संवाद प्रेषिती पर तागील किया गया माना जायेगा। इस खण्ड के प्रयोजन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 21 सन् 2000) की धारा 13 के उपबंध लागू होंगे।
(क) जब साध्य हो तब समन की तागील स्वयं व्यवहारी या सम्बन्धित व्यक्ति पर, अन्यथा उसके अभिकर्ता पर की जायेगी–	(ख) जब साध्य हो तब समन की तामील स्वयं व्यवहारी या सम्बन्धित व्यक्ति पर, अन्यथा उसके अभिकर्ता पर की जायेगी–
जहॉ कहीं भी यह साध्य हो वहॉ तागील स्वयं व्यवहारी या सम्बन्धित व्यक्ति पर की जायेगी किन्तु यदि तामील का प्रतिग्रहण करने के लिये सशक्त उसका कोई अभिकर्ता है, तो उस पर उसकी तागील पर्याप्त होगी।	जहॉ कहीं भी यह साध्य हो वहॉ तामील स्वयं व्यवहारी या सम्बन्धित व्यक्ति पर की जायेगी किन्तु यदि तामील का प्रतिग्रहण करने के लिये सशक्त उसका कोई अभिकर्ता है, तो उस पर उसकी तामील पर्याप्त होगी।
(ख) उस अभिकर्ता पर तामील जिसके द्वारा व्यवहारी या सम्बन्धित व्यक्ति कारबार करता है–	(ग) उस अभिकर्ता पर तागील जिसके द्वारा व्यवहारी या सम्बन्धित व्यक्ति कारबार करता है–
किसी कारबार या काम से सम्बन्धित किसी ऐसे वाद में जो किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध है, जो उस अधिकारी की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास नहीं करता है, जिसने नोटिस, सम्मन या आदेश निकाला है, किसी भी ऐसे प्रबंधक या अभिकर्ता पर तामील ठीक तामील समझी जायेगी, जो तामील के समय ऐसी सीमाओं के भीतर ऐसे व्यक्ति के लिये स्वयं ऐसा करोबार या काम करता है।	किसी कारबार या काम से सम्बन्धित किसी ऐसे वाद में जो किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध है, जो उस अधिकारी की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास नहीं करता है, जिसने नोटिस, सम्मन या आदेश निकाला है, किसी भी ऐसे प्रबंधक या अभिकर्ता पर तामील ठीक तामील समझी जायेगी, जो तामील के समय ऐसी सीमाओं के भीतर ऐसे व्यक्ति के लिये स्वयं ऐसा कारबार या काम करता है।
(ग) जहॉ तामील व्यवहारी या सम्बन्धित व्यक्ति के कुटुम्ब के व्यस्क	(घ) जहॉ तामील व्यवहारी या सम्बन्धित व्यक्ति के कुटम्ब के व्यस्क

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
सदस्य पर की जा सकेगी–	सदस्य पर की जा सकेगी–
जहॉ किसी वाद में व्यवहारी या सम्बन्धित व्यक्ति अपने निवास–स्थान से उस समय अनुपस्थित है जब उस पर नोटिस, सम्मन या आदेश की तागील उसके निवास–स्थान पर की जानी है, और युक्तियुक्त समय के भीतर उसके निवास–स्थान पर पाये जाने की सम्भावना नही है और नोटिस, सम्मन या आदेश की तामील का उसकी ओर से प्रतिग्रहण करने के लिये सशक्त उसका कोई अभिकर्ता नही है वहॉ तामील व्यवहारी या संबन्धित व्यक्ति के कुटुम्ब के किसी व्यस्क सदस्य पर चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, की जा सकेगी जो उसके साथ निवास कर रहा है।	जहॉ किसी वाद में व्यवहारी या सम्बन्धित व्यक्ति अपने निवास–स्थान से उस समय अनुपस्थित है जब उस पर नोटिस, सम्मन या आदेश की तामील उसके निवास–स्थान पर की जानी है, और युक्तियुक्त समय के भीतर उसके निवास–स्थान पर पाये जाने की सम्भावना नही है और नोटिस, सम्मन या आदेश की तामील का उसकी ओर से प्रतिग्रहण करने के लिये सशक्त उसका कोई अभिकर्ता नही है वहॉ तामील व्यवहारी या संबन्धित व्यक्ति के कुटुम्ब के किसी व्यस्क सदस्य पर चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, की जा सकेगी जो उसके साथ निवास कर रहा है।
स्पष्टीकरण–इस नियम के अर्थ में सेवक, कुटुम्ब का सदस्य नही है।	**स्पष्टीकरण**–इस खण्ड के अर्थ में सेवक, कुटुम्ब का सदस्य नही है।
(घ) वह व्यक्ति जिस पर तामील की गई है, अभिस्वीकृति हस्ताक्षरित करेगा–जहॉ आदेशिका निर्वाहक नोटिस, आदेश या सम्मन की प्रति स्वयं व्यवहारी को या संबंधित व्यक्ति को, या उसके निमित अभिकर्ता को या किसी अन्य व्यक्ति को,परिदत्त करता है या निविदत्त करता है, वहॉ जिस व्यक्ति को प्रति ऐसे परिदत्त या निविदत्त की गई है, उससे वह यह अपेक्षा करेगा कि वह मूल सम्मन, नोटिस या आदेश पर पृष्ठांकित तामील की अभिस्वीकृति पर अपने हस्ताक्षर करें।	(ड.) वह व्यक्ति जिस पर तामील की गई है, अभिस्वीकृति हस्ताक्षरित करेगा–जहॉ आदेशिका निर्वाहक नोटिस, आदेश या सम्मन की प्रति स्वयं व्यवहारी को या संबंधित व्यक्ति को, या उसके निमित्त अभिकर्ता को या किसी अन्य व्यक्ति को, परिदत्त करता है या निविदत्त करता है, वहॉ जिस व्यक्ति को प्रति ऐसे परिदत्त या निविदत्त की गई है, उससे वह यह अपेक्षा करेगा कि वह मूल सम्मन, नोटिस या आदेश पर पृष्ठांकित तामील की अभिस्वीकृति पर अपने हस्ताक्षर करें।
(ड.) जब व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति तामील का प्रतिग्रहण करने से इंकार करे या न पाया जाये, तब प्रकिया–	(च) ऐसी प्रकिया जब व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति तामील का प्रतिग्रहण करने से इंकार करे या न पाया जाये,–
जहां व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति या उसका अभिकर्ता या उपरोक्त जैसा अन्य व्यक्ति अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने से इंकार करता है, या जहॉ आदेशिका निर्वाहक सभी सम्यक् और युक्तियुक्त तत्परता बरतने के पश्चात् ऐसे व्यवहारी या संबधित व्यक्ति को न पा सके, जो अपने निवास–स्थान से उस समय अनुपस्थित है, जब उस पर सम्मन, नोटिस या आदेश की तामील उसके निवास–स्थान पर की जानी है और युक्तियुक्त समय के भीतर उसके निवास–स्थान पर पाये जाने की संभावना नही है और ऐसा कोई अभिकर्ता नही है जो सम्मन, नोटिस या आदेश की तामील का प्रतिग्रहण उसकी ओर से करने के लिये सशक्त है और न कोई	जहां व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति या उसका अभिकर्ता या उपरोक्त जैसा अन्य व्यक्ति अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने से इंकार करता है, या जहॉ आदेशिका निर्वाहक सभी सम्यक् और युक्तियुक्त तत्परता बरतने के पश्चात् ऐसे व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति को न पा सके, जो अपने निवास–स्थान से उस समय अनुपस्थित है, जब उस पर सम्मन, नोटिस या आदेश की तामील उसके निवास–स्थान पर की जानी है और युक्तियुक्त समय के भीतर उसके निवास–स्थान पर पाये जाने की संभावना नहीं है और ऐसा कोई अभिकर्ता नही है जो सम्मन, नोटिस या आदेश की तामील का प्रतिग्रहण उसकी ओर से करने के लिये सशक्त है और न कोई ऐसा अन्य व्यक्ति है

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
ऐसा अन्य व्यक्ति है जिस पर तामील की जा सके वहॉ आदेशिका निर्वाहक उस गृह के, जिसमें व्यवहारी या सम्बन्धित व्यक्ति सामान्य तौर से निवास करता है या करोबार करता है या अभिलाभ के लिये स्वयं काम करता है, बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर सम्मन, नोटिस या आदेश की एक प्रति चस्पा करेगा और तब वह मूल प्रति को उस पर पृष्ठांकित या उससे उपाबद्व ऐसी रिपोर्ट के साथ, जिसमें यह कथित होगा कि उसने प्रति को ऐसे लगा दिया है और वे कौन सी परिस्थितियॉ थी जिनमें उसने ऐसा किया, इंगित होगी और जिसमें उस व्यक्ति का (यदि कोई हो) नाम और पता इंगित होगा जिसने गृह पहचाना था और जिसकी उपस्थिति में प्रति चस्पा की गई थी, उस अधिकारी को लौटाएगा, जिसने सम्मन निकाला था।	जिस पर तामील की जा सके, वहॉ आदेशिका निर्वाहक उस गृह के, जिसमें व्यवहारी या सम्बन्धित व्यक्ति सामान्य तौर से निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाभ के लिये स्वयं काम करता है, बाहरी द्वार, पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर सम्मन, नोटिस या आदेश की एक प्रति चस्पा करेगा और तब वह मूल प्रति को उस पर पृष्ठांकित या उससे उपाबद्व ऐसी रिपोर्ट के साथ, जिसमें यह कथित होगा कि उसने प्रति को ऐसे लगा दिया है और वे कौन सी परिस्थितियॉ थी जिनमें उसने ऐसा किया, इंगित होगी और जिसमें उस व्यक्ति का (यदि कोई हो) नाम और पता इंगित होगा जिसने गृह पहचाना था और जिसकी उपस्थिति में प्रति चस्पा की गई थी, उस अधिकारी को लौटाएगा, जिसने इसे निकाला था।
(च) तामील करने के समय और रीति का पृष्ठांकन– आदेशिका निर्वाहक उन सभी दशाओं में, जिनमें नोटिस, सम्मन या आदेश की तामील उपनियम (घ) के अधीन की गई है और उस समय को जब और उस रीति को जिससे सम्मन, नोटिस या आदेश की तामील की गई थी और यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने उस व्यक्ति को, जिस पर तामील की गई है, पहचाना था और जो नोटिस सम्मन या आदेश के परिदान या निविदान का साक्षी रहा था तो उसका नाम और पता इंगित करने वाली विवरणी मूल नोटिस, सम्मन या आदेश पर पृष्ठांकित करेगा या कराएगा या मूल नोटिस, सम्मन या आदेश से उपाबद्व करेगा या कराएगा।	(छ) तामील करने के समय और रीति का पृष्ठांकन– आदेशिका निर्वाहक उन सभी दशाओं में, जिनमें नोटिस, सम्मन या आदेश की तामील खण्ड (ड.) के अधीन की गई है और उस समय को जब और उस रीति को जिससे सम्मन, नोटिस या आदेश की तामील की गई थी और यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने उस व्यक्ति को, जिस पर तामील की गई है, पहचाना था और जो नोटिस सम्मन या आदेश के परिदान या निविदान का साक्षी रहा था तो उसका नाम और पता इंगित करने वाली विवरणी मूल नोटिस, सम्मन या आदेश पर पृष्ठांकित करेगा या कराएगा या मूल नोटिस, सम्मन या आदेश से उपाबद्व करेगा या कराएगा।
(छ) आदेशिका निर्वाहक की परीक्षा–जहॉ नोटिस, सम्मन या आदेश उप नियम (ड.) के अधीन लौटा दिया गया है वहां आदेशिका निर्वाहक की परीक्षा, उसकी अपनी कार्यवाहियों की बाबत, अधिकारी स्वयं या किसी अन्य अधिकारी द्वारा उस दशा में करेगा या करायेगा, जिसमें उस नियम के अधीन विवरणी आदेशिका निर्वाहक द्वारा शपथ पत्र द्वारा सत्यापित नहीं की गई है और उस दशा में कर सकेगा या करा सकेगा, जिसमें वह ऐसे सत्यापित की गई है और उस मामलें में	(ज) आदेशिका निर्वाहक की परीक्षा–जहां नोटिस, सम्मन या आदेश खण्ड (च) के अधीन लौटा दिया गया है वहां आदेशिका निर्वाहक की परीक्षा, उसकी अपनी कार्यवाहियों की बाबत, अधिकारी स्वयं या किसी अन्य अधिकारी द्वारा उस दशा में करेगा या करायेगा, जिसमें उस नियम के अधीन विवरणी आदेशिका निर्वाहक द्वारा शपथपत्र द्वारा सत्यापित नहीं की गई है और उस दशा में कर सकेगा या करा सकेगा, जिसमें वह ऐसे सत्यापित की गई है और उस मामले में ऐसे अतिरिक्त

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
ऐसी अतिरिक्त जांच कर सकेगा, जो वह ठीक समझे और या तो वह घोषित करेगा की नोटिस, सम्मन या आदेश की तामील सम्यक् रूप से हो गई है या ऐसी तामील का आदेश करेगा, जो वह ठीक समझें।	जांच कर सकेगा, जो वह ठीक समझे और या तो वह घोषित करेगा कि नोटिस, सम्मन या आदेश की तामील सम्यक् रूप से हो गई है या ऐसी तामील का आदेश करेगा, जो वह ठीक समझें।
(ज) वैयक्तिक तामील के अतिरिक्त डाक द्वारा तामील के लिये नोटिस, सम्मन या आदेश का एक साथ जारी क़िया जाना–	(झ) वैयक्तिक तामील के अतिरिक्त डाक द्वारा तामील के लिये नोटिस, सम्मन या आदेश का एक साथ जारी किया जाना–
(एक) अधिकारी तामील करने के लिये नोटिस, सम्मन या आदेश निकालने के साथ ही साथ यह भी निर्देश देगा कि नोटिस, सम्मन या आदेश की तामील व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति को, या तामील का प्रतिग्रहण करने के लिये सशक्त उसके अभिकर्ता को संबंधित रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा उस स्थान पर की जायें, जहॉ व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति या उसका अभिकर्ता वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाभ के लिये स्वयं काम करता है। परंतु जहां मामलें की परिस्थितियों में अधिकारी इसे अनावश्यक समझता है, वहां इस उपनियम की कोई बात अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं करेगी कि वह रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा तामील करने के लिये नोटिस, सम्मन या आदेश निकाले।	(एक) अधिकारी तामील करने के लिये नोटिस, सम्मन या आदेश निकालने के साथ ही साथ यह भी निर्देश देगा कि नोटिस, सम्मन या आदेश की तामील व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति को या तामील का प्रतिग्रहण करने के लिये सशक्त उसके अभिकर्ता को संबंधित रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा उस स्थान पर की जायें, जहां व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति या उसका अभिकर्ता वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाभ के लिये स्वयं काम करता है, परन्तु जहां मामलें की परिस्थितियों में अधिकारी इसे अनावश्यक समझता है, वहां इस उपखण्ड की कोई बात अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं करेगी कि वह रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा तामील करने के लिये नोटिस, सम्मन या आदेश निकालें।
(दो) जहां अधिकारी व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होने का तात्पर्य रखने वाली अभिस्वीकृति प्राप्त करता है या जहां अधिकारी उस डाक वस्तु को जिसमें नोटिस, सम्मन या आदेश है, ऐसे पृष्ठांकन के साथ वापस करता है, जो डाक कर्मचारी द्वारा इस आशय से किया गया तात्पर्यित है कि व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता ने उस डाक वस्तु को जिसमें सम्मन, नोटिस, या आदेश है, निविदत्त किये जाने पर ग्रहण करने से इंकार कर दिया था, तो नोटिस, सम्मन या आदेश निकालने वाला अधिकारी यह घोषणा करेगा कि व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति पर नोटिस, सम्मन या आदेश की सम्यक् रूप से तामील की गई थी।	(दो) जहॉ अधिकारी व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होने का तात्पर्य रखने वाली अभिस्वीकृति प्राप्त करता है या जहां अधिकारी उस डाक वस्तु को जिसमें नोटिस, सम्मन या आदेश है, ऐसे पृष्ठांकन के साथ वापस करता है। जो डाक कर्मचारी द्वारा इस आशय से किया गया तात्पर्यित है कि व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता ने उस डाक वस्तु को जिसमें सम्मन, नोटिस, या आदेश है, निविदत्त किये जाने पर ग्रहण करने से इंकार कर दिया था, तो नोटिस, सम्मन या आदेश निकालने वाला अधिकारी यह घोषणा करेगा कि व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति पर नोटिस, सम्मन या आदेश की सम्यक् रूप से तामील की गई थी।
परन्तु जहां नोटिस, सम्मन या आदेश उचित रूप से पता लिखकर, उस पर पूर्व संदाय करके और रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा सम्यक् रूप से भेजा गया था वहां इस उपनियम में निर्दिष्ट घोषणा इस तथ्य के होते हुये भी की जायेगी कि अभिस्वीकृति खो जाने या इधर–उधर हो जाने या किसी अन्य कारण से नोटिस, सम्मन या आदेश निकालने की तारीख से तीस दिन के भीतर अधिकारी को प्राप्त नहीं हुई है।	परन्तु जहां नोटिस, सम्मन या आदेश उचित रूप से पता लिखकर, उस पर पूर्व संदाय करके और रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा सम्यक् रूप से भेजा गया था वहां इस खण्ड में निर्दिष्ट घोषणा इस तथ्य के होते हुये भी की जायेगी कि अभिस्वीकृति खो जाने या इधर–उधर हो जाने या किसी अन्य कारण से नोटिस, सम्मन या आदेश निकालने की तारीख से तीस दिन के भीतर अधिकारी को प्राप्त नहीं हुई है।

Data-8 6 35 RPH Sansthagat Anu. 2016

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(झ) प्रतिस्थापित तामील–	(ञ) प्रतिस्थापित तामील–
(एक) जहां अधिकारी का समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने के लिये कारण है कि व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति इस प्रयोजन से कि उस पर तामील न होने पाये, सामने आने से बचता है या नोटिस, सम्मन या आदेश की तामील सामान्य प्रकार से किसी अन्य कारण से नहीं की जा सकती वहां अधिकारी आदेश देगा कि नोटिस, सम्मन या आदेश की तामील उसकी एक प्रति कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान में लगाकर और, यदि ऐसा कोई गृह हो, तो उस गृह के, जिसमें व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति का अंतिम बार निवास करना या कारोबार करना या अभिलाभ के लिये स्वयं काम करना ज्ञात है, किसी सहजदृश्य भाग पर भी लगाकर या ऐसी अन्य रीति से, जो अधिकारी ठीक समझे, की जाये।	(एक) जहां अधिकारी का समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने के लिये कारण है कि व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति इस प्रयोजन से कि उस पर तामील न होने पाये, सामने आने से बचता है या नोटिस, सम्मन या आदेश की तामील सामान्य प्रकार से किसी अन्य कारण से नहीं की जा सकती वहां अधिकारी आदेश देगा कि नोटिस, सम्मन या आदेश की तामील उसकी एक प्रति कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान में लगाकर और, यदि ऐसा कोई गृह हो, तो उस गृह के, जिसमें व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति का अंतिम बार निवास करना या कारोबार करना या अभिलाभ के लिये स्वयं काम करना ज्ञात है, किसी सहजदृश्य भाग पर भी लगाकर या ऐसी अन्य रीति से, जो अधिकारी ठीक समझे, की जाये।
(दो) जहां उपनियम (एक) के अधीन कार्य करने वाला अधिकारी समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा तामील का आदेश करता है वहां वह समाचार पत्र ऐसा दैनिक समाचार पत्र होगा जिसका परिचालन उस स्थानीय क्षेत्र में होता है, जिसमें व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति का अंतिम बार वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करना या कारोबार करना या अभिलाभ के लिये स्वयं काम करना ज्ञात है।	(दो) जहां उपखण्ड (एक) के अधीन कार्य करने वाला अधिकारी समाचारपत्र में विज्ञापन द्वारा तामील का आदेश करता है वहां वह समाचार पत्र ऐसा दैनिक समाचार पत्र होगा जिसका परिचालन उस स्थानीय क्षेत्र में होता है, जिसमें व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति का अंतिम बार वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करना या कारोबार करना या अभिलाभ के लिये स्वयं काम करना ज्ञात है।
(तीन) प्रतिस्थापित तामील का प्रभाव–अधिकारी के आदेश द्वारा प्रतिस्थापित तामील इस प्रकार प्रभावी होगी मानो वह स्वयं व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति पर की गई हो।	(तीन) प्रतिस्थापित तामील का प्रभाव–अधिकारी के आदेश द्वारा प्रतिस्थापित तामील इस प्रकार प्रभावी होगी मानो वह स्वयं व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति पर की गई हो।
(चार) जहां तामील प्रतिस्थापित की गई हो वहां उपस्थिति के लिये समय का नियत किया जाना–जहां अधिकारी के आदेश द्वारा तामील प्रतिस्थापित की गई है वहां अधिकारी व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति की उपस्थिति के लिये ऐसा समय नियत करेगा जो उस मामले में अपेक्षित हो।	(चार) जहां तामील प्रतिस्थापित की गई हो वहां उपस्थिति के लिये समय का नियत किया जाना–जहां अधिकारी के आदेश द्वारा तामील प्रतिस्थापित की गई है वहां अधिकारी व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति की उपस्थिति के लिये ऐसा समय नियत करेगा जो उस मामले में अपेक्षित हो।
(ञ) जहां व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति किसी अन्य प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर निवास करता है, ऐसे में नोटिस, सम्मन या आदेश की तामील नोटिस, सम्मन या आदेश को प्राधिकारी जिसने उसे निकाला है, अपने आदेशिकी निर्वाहिक द्वारा या डाक द्वारा राज्य के भीतर या बाहर ऐसे	(ट) जहां व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति किसी अन्य प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर निवास करता है, ऐसे में नोटिस, सम्मन या आदेश की तामील नोटिस, सम्मन या आदेश को प्राधिकारी जिसने उसे निकाला है, अपने आदेशिकी निर्वाहिक द्वारा या डाक द्वारा राज्य के भीतर या बाहर ऐसे

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
किसी प्राधिकारी को भेज सकेगा, जिसकी उस स्थान में अधिकारिता है जहां व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति निवास करता है।	किसी प्राधिकारी को भेज सकेगा, जिसकी उस स्थान में अधिकारिता है जहां व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति निवास करता है।
(ट) जिस प्राधिकारी को सम्मन भेजा गया है उसका कर्तव्य– वह प्राधिकारी जिसको नोटिस, सम्मन या आदेश नियम (ञ) के अधीन भेजा गया है, उसकी प्राप्ति पर इस भांति असर होगा मानो वह उसी प्राधिकारी द्वारा निकाला गया था और तब वह उससे संबंधित अपनी कार्यवाहियों के अभिलेख के (यदि कोई हो) सहित नोटिस, सम्मन या आदेश उसे निकालने वाले प्राधिकारी को वापस भेज देगा।	(ठ) जिस प्राधिकारी को सम्मन भेजा गया है उसका कर्तव्य– वह प्राधिकारी जिसको नोटिस, सम्मन या आदेश नियम (ट) के अधीन भेजा गया है, उसकी प्राप्ति पर इस भांति असर होगा मानो वह उसी प्राधिकारी द्वारा निकाला गया था और तब वह उससे संबंधित अपनी कार्यवाहियों के अभिलेख के (यदि कोई हो) सहित नोटिस, सम्मन या आदेश उसे निकालने वाले प्राधिकारी को वापस भेज देगा।
(ठ) कारागार में व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति पर तामील– जहां व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति कारागार में परिरूद्ध है वहां नोटिस, सम्मन या आदेश कारागार के भारसाधक अधिकारी को व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति पर तामील के लिये परिदत्त किया जायेगा या डाक द्वारा या अन्यथा भेजा जायेगा।	(ड) कारागार में व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति पर तामील– जहां व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति कारागार में परिरूद्ध है वहां नोटिस, सम्मन या आदेश कारागार के भारसाधक अधिकारी को व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति पर तामील के लिये परिदत्त किया जायेगा या डाक द्वारा या अन्यथा भेजा जायेगा।
(ड) सिविल लोक अधिकारी पर या रेल कम्पनी या स्थानीय प्राधिकारी के सेवक पर तामील– जहां व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति लोक अधिकारी है (जो भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना का नहीं है) या रेल कम्पनी या स्थानीय प्राधिकारी का सेवक है वहां, यदि प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि नोटिस, सम्मन या आदेश की तामील अत्यन्त सुविधापूर्वक ऐसे की जा सकती है तो वह उसे उसकी उस प्रति के सहित जो संबंधित व्यक्ति द्वारा रख ली जानी है, उस कार्यालय के प्रधान को जिसमें संबंधित व्यक्ति नियोजित है, संबंधित व्यक्ति पर तामील के लिये भेज सकेगा।	(ढ) सिविल लोक अधिकारी पर या रेल कम्पनी या स्थानीय प्राधिकारी के सेवक पर तामील– जहां व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति लोक अधिकारी है (जो भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना का नहीं है) या रेल कम्पनी या स्थानीय प्राधिकारी का सेवक है वहां, यदि प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि नोटिस, सम्मन या आदेश की तामील अत्यन्त सुविधापूर्वक ऐसे की जा सकती है तो वह उसे उसकी उस प्रति के सहित जो संबंधित व्यक्ति द्वारा रख ली जानी है, उस कार्यालय के प्रधान को जिसमें संबंधित व्यक्ति नियोजित है, संबंधित व्यक्ति पर तामील के लिये भेज सकेगा।
(ढ) उस व्यक्ति का कर्तव्य जिसको सम्मन, नोटिस या आदेश तामील के लिये परिदत्त किया जाये या भेजा जाये– (एक) जहां नोटिस, सम्मन या आदेश तामील के लिये किसी व्यक्ति को उपनियम (ठ) एवं (ड) के अधीन परिदत्त किया गया है या भेजा गया है, वहां ऐसा व्यक्ति, उसकी तामील, यदि संभव हो, करने के लिये और अपने हस्ताक्षर करके व्यवहारी या संबंधित	(ण) उस व्यक्ति का कर्तव्य जिसको सम्मन, नोटिस या आदेश तामील के लिये परिदत्त किया जाये या भेजा जाये– (एक) जहां नोटिस, सम्मन या आदेश तामील के लिये किसी व्यक्ति को खण्ड (ड) एव (ढ) के अधीन परिदत्त किया गया है या भेजा गया है, वहां ऐसा व्यक्ति, उसकी तामील, यदि संभव हो, करने के लिये और अपने हस्ताक्षर करके व्यवहारी या संबंधित

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
व्यक्ति की लिखित अभिस्वीकृति के साथ लौटाने के लिये आबद्ध होगा और ऐसे हस्ताक्षर तामील के साक्ष्य समझे जायेंगे।	व्यक्ति की लिखित अभिस्वीकृति के साथ लौटाने के लिये आबद्ध होगा और ऐसे हस्ताक्षर तामील के साक्ष्य समझे जायेंगे।
(दो) जहां किसी कारण से तामील असंभव हो वहां नोटिस, सम्मन या आदेश ऐसे कारण के और तामील कराने के लिये की गई कार्यवाहियों के पूर्ण कथन के साथ प्राधिकारी को लौटा दिया जायेगा और ऐसा कथन तामील न होने का साक्ष्य समझा जायेगा।	(दो) जहां किसी कारण से तामील असंभव हो वहां नोटिस, सम्मन या आदेश ऐसे कारण के और तामील कराने के लिये की गई कार्यवाहियों के पूर्ण कथन के साथ प्राधिकारी को लौटा दिया जायेगा और ऐसा कथन तामील न होने का साक्ष्य समझा जायेगा।
(ण) नोटिस, सम्मन या आदेश के बदले पत्र का प्रतिस्थापित किया जाना–	(त) नोटिस, सम्मन या आदेश के बदले पत्र का प्रतिस्थापित किया जाना–
(एक) इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, जहां प्राधिकारी की यह राय है कि व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति ऐसी पंक्ति का है जो उसे इस बात का हकदार बनाता है कि उसके प्रति ऐसा सम्मानपूर्ण बर्ताव किया जाये, वहां वह नोटिस, सम्मन या आदेश के बदले ऐसा पत्र प्रतिस्थापित कर सकेगा जो प्राधिकारी द्वारा या ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो वह इस निमित्त नियुक्त करें, हस्ताक्षरित होगा।	(एक) इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, जहां प्राधिकारी की यह राय है कि व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति ऐसी पंक्ति का है जो उसे इस बात का हकदार बनाता है कि उसके प्रति ऐसा सम्मानपूर्ण बर्ताव किया जाये, वहां वह नोटिस, सम्मन या आदेश के बदले ऐसा पत्र प्रतिस्थापित कर सकेगा जो प्राधिकारी द्वारा या ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो वह इस निमित्त नियुक्त करे, हस्ताक्षरित होगा।
(दो) उपनियम (एक) के अधीन प्रतिस्थापित पत्र में वे सब विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होगी जिनका नोटिस, सम्मन या आदेश में कथित होना अपेक्षित है और उपनियम (तीन) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये वह हर तरह से नोटिस, सम्मन या आदेश माना जायेगा।	(दो) उपखण्ड (एक) के अधीन प्रतिस्थापित पत्र में वे सब विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होगी जिनका नोटिस, सम्मन या आदेश में कथित होना अपेक्षित है और उपखण्ड (तीन) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये वह हर तरह से नोटिस, सम्मन या आदेश माना जायेगा।
(तीन) ऐसा प्रतिस्थापित पत्र संबंधित व्यक्ति को डाक या प्राधिकारी द्वारा चुने गये विशेष संदेश वाहक द्वारा या किसी ऐसी अन्य रीति से जो प्राधिकारी ठीक समझे, भेजा जा सकेगा और जहां संबंधित व्यक्ति का ऐसा अभिकर्ता हो जो तामील प्रतिगृहित करने के लिये सशक्त है वहां वह पत्र ऐसे अभिकर्ता को परिदत्त किया जा सकेगा या भेजा जा सकेगा।	(तीन) ऐसा प्रतिस्थापित पत्र संबंधित व्यक्ति को डाक या प्राधिकारी द्वारा चुने गये विशेष संदेश वाहक द्वारा या किसी अन्य रीति से जिसे प्राधिकारी ठीक समझे, भेजा जा सकेगा और जहां संबंधित व्यक्ति का ऐसा अभिकर्ता हो जो तामील प्रतिगृहीत करने के लिये सशक्त है वहां वह पत्र ऐसे अभिकर्ता को परिदत्त किया जा सकेगा या भेजा जा सकेगा।
	(थ) कमिश्नर को किसी नोटिस, सम्मन या आदेश की तामीली के संबंध में अनुदेश जारी करने की शक्ति होगी।

5–फार्म संख्या–सत्रह एवं अठारह को निकाल दिया जायेगा। फार्म संख्या–सत्रह एवं अठारह का निकाला जाना

आज्ञा से,
बीरेश कुमार,
प्रमुख सचिव।

Data-8 635 RPH Sansthagat Anu. 2016